भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

**सं0 33/प्रेस क्लीपिंग/7/2015/आरयू.–III**

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi–110003
दिनांक : 01–08–2016

सेवा में,

1. सचिव,
   राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार,
   रांची (झारखण्ड)

2. सचिव,
   कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार
   रांची (झारखण्ड)

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव
   गृह विभाग, झारखण्ड सरकार,
   रांची (झारखण्ड)

4. सचिव,
   वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग एवं बीमा)
   वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
   जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
   नई दिल्ली

5. पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड
   पुलिस मुख्यालय,
   रांची (झारखण्ड)

6. जिलाधिकारी/उपायुक्त,
   जिला–धनबाद,
   झारखण्ड

7. पुलिस अधीक्षक,
   जिला–धनबाद,
   झारखण्ड

विषयः **झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु भू–अर्जन में अनियमितताओं और आदिवासियों को मिलने वाले मुआवजे को बिचौलियों द्वारा हड़पने की घटना के संबंध में प्रभात खबर समाचार पत्र, रांची संस्करण में दिनांक 24.03.2015 को "मुआवजे के 11 करोड़ रूपए निकाल लिए बिचौलिए ने" (सं0 33/प्रेस क्लीपिंग/7/2015/आरयू.–III)**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 26.02.2016 को आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव के समक्ष हुई बैठक के कार्यवृत की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में कार्यवृत्त पर अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(वी.पी.शाही) 1/8/16

**सहायक निदेशक**

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :**

1. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा सं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011,मध्य प्रदेश, कृपया उपरोक्त बैठक में उपस्थित रहें।
2. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को–ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची–834002 (झारखंड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावली संख्या – 33/प्रेस क्लिपींग/7/2015/आर.यू. – III दिनांक – 22.7.2016

विषय – झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में रिंग रोड़ के निर्माण हेतु भू–अर्जन में अनियमितताओं और आदिवासियों को मिलने वाले मुआवजे को बिचौलियों द्वारा हड़पने की घटना के संबंध में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक – 26/2/ 2016 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में रिंग रोड़ के निर्माण हेतु भू–अर्जन में अनियमितताओं और आदिवासियों को मिलने वाले मुआवजे को बिचौलियों द्वारा हड़पने की घटना के सम्बन्ध में प्रभात खबर समाचार पत्र के रांची संस्करण में दिनांक 24.03.2015 को प्रकाशित समाचार के अनुसार आदिवासियों की जमीन, रिंग रोड़ निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थी। जिसके मुआवजे के रूप में जनजातियों को मिलने वाले 11.10 करोड़, जनजातियों के बैंक खाते से बिचौलियों द्वारा निकाल लिए गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रंसज्ञान लेते हुए दिनांक – 8/4/2015 को पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड पुलिस को प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने तथा तत्काल कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया तथा दिनांक 20.04.2015 से लेकर 22.04.2015 तक आयोग का एक जांच दल धनबाद भेजा गया। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में निम्न मुख्य संस्तुतियाँ की गई।

1.1 धनबाद में रिंग रोड़ के निर्माण तथा आवास निर्माण हेतु किए गए भू–अर्जन के मुआवजे के भुगतान में स्थानीय प्रशासन द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन तथा अधिकारियों और बिचौलियों की सांठ–गांठ के कारण पूरा मुआवजा प्राप्त करने में धोखा–धड़ी के शिकार पीड़ितो को राज्य सरकार पूरा मुआवजा पुनः वितरित करे।

1.2 चूँकी धनबाद में रिंग रोड़ के निर्माण तथा आवास निर्माण हेतु किए गए भू–अर्जन के मुआवजे के भुगतान में बिचौलियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ धोखा–धड़ी करके उन्हें अपनी भूमि के पूरे मुआवजे को प्राप्त करने के उनके अधिकार का उपभोग करने से वंचित किया गया है। अतः सभी बिचौलियों के खिलाफ सभी पीड़ितों से प्रभावती प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और उसमें भा.द.वि. की सुसंगत धाराओं के अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (V) भी शामिल की जाए।

1.3 पैक्स प्रबंधन द्वारा धोखा–धड़ी में बिचौलियों का साथ देकर आदिवासियों को मुआवजे की पूरी राशि प्राप्त करने से वंचित करने के कारण दोषी पैक्स अधिकारियों के खिलाफ भी



रामेश्वर उरांव

डा. रामश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रभावी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए और उसमें भा.द.वि. की सुसंगत धाराओं के अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (V) भी शामिल की जाए।

1.4 उक्त अनियमितताओं में शामिल तत्कालीन जिला भू–अर्जन अधिकारी, धनबाद तथा उनके कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों (सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारियों सहित) के खिलाफ भी बिचौलियों का साथ देकर आदिवासियों को मुआवजे की पूरी राशि प्राप्त करने से वंचित करने के कारण दोषी पैक्स अधिकारियों के खिलाफ भी प्रभावी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और उसमें भा.द.वि. की सुसंगत धाराओं के अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (V) भी शामिल की जाए, साथ ही इन लोक सेवकों के खिलाफ जान बूझ कर अपने कार्य में शिथिलता बरते के कारण अधिनियम की धारा 4 भी आरोपित की जाए।

1.5 चूँकि जाँच में अर्जित की जा रही जमीन के मूल्य निर्धारण में गड़बड़ी की बात की पुष्टि हुई और एक ही मौजे में एक ही प्रकार की भूमि हेतु अलग–अलग मूल्य निर्धारित किया गया है अतः भविष्य में मूल्य निर्धारण में सावधानी बरती जाए और भू–अर्जन कार्यालयों से गैर सरकारी व्यक्तियों या बिचौलियों को संख्ती से बाहर किया जाए ताकि वे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर इस प्रकार के कार्य न कर सकें।

1.6 मुआवते का भुगतान केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जाए जिनके द्वारा के. वाई. सी. – प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाता है। पैक्स अथवा लैम्प्स जैसी समितियों के माध्यम से मुआवजे का भुगतान न किया जाए।

1.7 भू–अर्जन में झरिया पुर्नवास एवं विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका और उनकी संपत्तियों की भी जांच की जाए।

1.8 भविष्य में मुआवजे का विकरण कैम्प लगाकर संबंधित मौजे में ही किया जाए ताकि मुआवजा पाने वाले व्यक्ति की सही पहचान हो सके। चेक का वितरण केवल मुआवजा पाने वाले व्यक्ति को ही किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं।

1.9 विशेष जांच दल गठित कर धनबाद में विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे के विकरण में हुई अनियमितताओं की जांच की जाए। जांच में सहयोग हेतु राजस्व, सहकारिता, बैंकिंग, आयकर विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए ताकि भू–अर्जन, मुआवजे के वितरण, बैंक के रूप में कार्य करने की पैक्स की शक्तियों, वित्तीय लेन–देन में आयकर नियमों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नियामें के पालन किए जाने अथवा न किए जाने के मुद्दों पर सलाह मिल सकें।

1.10 वर्ष 2009 में एवं उसके बाद से भू–अर्जन, कार्यालय, धनबाद में पदस्थ सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके निकट परिजनों, पैक्स प्रंबधन तथा बिचौलियों, जिन का नाम शिकायत में उल्लेखित है कि चल – अचल संपत्ति एवं बैंक खातों की जानकारी प्राप्त की जाए



रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ताकि आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की–जब्ती कर भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति राजसात की जा सके।

1.11 झारखंड सरकार भू–अर्जन की अधिसूचना जारी होने के बाद अर्जित की जा रही भूमि के हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लागा दे तथा पुरानी अधिसूचना को निरस्त कर पुनः नई अधिसूचना जारी न करे जिससे कि बिचौलियों को भूमि क्रय करने का अवसर मिल जाता है।

1.12 मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम मुआवजे की अधिकांश राशि को फिक्सड डिपॉजिट किया जाए जिसे वह 5 साल से पहले न निकाल सके और ब्याज की राशि उसके बचत खाते में आती रहे, जिसे वह आवश्यकतानुसार आहरित कर सके। इस प्रकार के नियम बनायें जायें।

2 आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर की अध्यक्षता में दिनांक – 30.06.2015 को प्रकरण के संदर्भ में अतिरिक्त सचिव, राजस्थ्व विभाग, झारखण्ड सरकार, उपायुक्त, धनबाद, पुलिस अधीक्षक, धनबाद के साथ बैठक की गई। बैठक के कार्यवृत्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न सलाह दी गई।

2.1 उक्त काण्डों की निष्पक्ष जांच शीघ्र पूर्ण की जाए और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, बिचौलियों और पैक्स प्रबन्धन के खिलाफ सहकारिता, बैंकिग तथा आयकर विभागों के विशेषज्ञों की सहायता लेकर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को हड़पी गई राशि दिलाने की कार्रवाई की जाए।

2.2 जांच के बाद पैसा हड़पने वाले आरोपियों की चल–अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाइ की जाए।

2.3 आदिवासी रैयतों के उन मामलों में (जहां कि आरोपी गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हों), अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराएं प्राथमिकी में जोड़े जाने की कार्रवाई की जाए।

2.4 पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि आरोपी उन्हें डराने–धमकाने की कोशिश न करें और उनके साथ कोई और अप्रिय घटना न घटे। आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए।

2.5 एक माह के भीतर मामले की जांच पूर्ण कर ली जाए। आयोग एक माह बाद पुनः बैठक लेकर कार्रवाई में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करेगा।

3. झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट एवं कार्यवृत पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक – 26/2/2016 को प्रकरण के संदर्भ में रांची में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

रामेश्वर उरांव.



डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.1 उपायुक्त, धनबाद ने बैठक में अवगत कराया कि मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें से 3 एफआईआर अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज की गई थी। प्रकरण में कुल 18 जनजातीय परिवार पीड़ित है। 72 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 वारंट प्रक्रियाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री ने जांच को एसीबी (भ्रष्टाचार–निरोध ब्यूरो) को सौंपने का निर्देश दिये है। प्रकरण में वर्तमान में अनुसंधान कार्य जारी है।

3.2 प्रकरण की नवीनतम वस्तुस्थिति से अवगत होने के उपरान्त माननीय अध्यक्ष ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कहा कि झारखण्ड राज्य में, जनजातियों के लिए कानून व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों तथा इसके बिचौलिए द्वारा अनुसूचित जनजातियों को ठगा गया है और यह राज्य सरकार के लिए खेद का विषय है। मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक को सलाह दी गई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की राज्य में पुनर्रावृत्ति न हो। जिसका मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक विशेष ध्यान रखें।

3.3 माननीय अध्यक्ष, ने जनजातीय पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित कार्रवाई करने की सलाी/सुझाव दिए–

1. राज्य सरकार, ठगे गए जनजातीय परिवारों को उनके भरण–पोषण तथा योग्य आजीविका के लिए अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि प्रदान करें।

2. राज्य सरकार, जनजातीय पीड़ित परिवारों को अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा प्रदान करें।

3. जनजातीय भूमि के पंजीकरण व हस्तांतरण को रोका जाए तथा उनके पुनर्वास पूरा होने के पश्चात आगे की पकिया को पूरा किया जाए।

4. राज्य सरकार मामले की जांच करें कि पैक्स ने किस प्रकार मुआवजे की राशि का लेन देन किया है, किस प्रकार इस तरह का उल्लंघन किया गया है। इस की जानकारी संबंधित बैंको को दी जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनर्रावृत्ति न हो।

5. राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को ठगे गए मुआवजे की राशि अथवा जमीन मिले।

6. राज्य सरकार धोखाधड़ी के मामलों और बिचौलियों की भूमिका को रोकने के लिए मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए एक संवेदनशील प्रणाली बनाएं। बडी राशि का भुगतान वरिश्ठ अधिकारियों के सामने करवाया जाए।

7. राज्य सरकार मुआवजे के भुगतान के लिए बैंकिंग द्वारा एक पारदर्शी एवं फास्टट्रैक प्रणाली बनाए तथा सरकारी कर्मचारियों की भूमिका को मॉनिटर करें।

रामेश्वर उरांव.

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिन सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ ठगी की है उन सभी व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उनकी जमीन जायदाद जब्त करके ठगे गए अनुसूचित जनजाति के परिवारों का पुनर्वास किया जाए तथा मुआवजा प्रदान किया जाए। आयोग को मामले की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त, धनबाद, पुलिस अधीक्षक, धनबाद एवं सचिव, राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार व्यक्तिगत रूप से प्रेषित करें।

***

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi